- (c) Yes, Sir.
- (d) WAPCOS was engaged as Expert Consultants by the Hyderabad Metropolitan Water Supply & Sewerage Board for the project "Augmentation of Water Supply to the Twin Cities of Hyderabad & Secunderabad".

The recommendations submitted are given in the Statement (see below).

STATEMENT

R ecommendations:

- (i) The Adlditional requirement of 16.5 TMC (260 MGD), by 2011 A.D. (for projected population of 60 lakhs) fo $_{\rm r}$ Water Supply to the twin cities was split up in 3 phases of 5.5 each.
- (ii) The water is to be drawn for the 1st phase requirement of 5.5 TMC from the foreshore of Nagar-juna Sagar reservoir either in conjunction with irrigation scheme (SLBC) to pump it to proposed Ak-kampalli balancing reservoir and from there to the twin cities or as an ideependent scheme with a separate intake.
- (iii) The subsequent phase requirements were also to be met from the Nagarjuna Sagar by augmenting the supplies of the Krishna basin by a number of identified schemes.
- (iv) In order to off-set the effect on irrigation on account of these withdrawals from the storage of Nagarjuna Sagar reservoir and also to serve as a terminal reservoir, the contemplated Pulichintala Project could be taken up as early as possible
- (v) Supplementing from the Godavari viz. (a) Inchampalli right bank canal and (b) Dummugudam anicut by Pumping 16.5 TMC to Nagarjuna Sagar left bank canal at Tallada regulator.
- (vi) On the Godavari river, the Committee considered Kanthalapal-ly site as the second dependable source in order of priority.

Issuance of Irrigation Bonds Scheme

3492. SHRI MURLIDHAR CHAN-DRAKANT BHANDARE: SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of WATER RESOURCES b_e pleased to state:

- (a) whether Government of Maharashtra had mooted any proposal for issuing Irrigation Bonds to raise finance for its projects to optionally utilise the water in the Krishna Godavari basin; if so, the details of the Bond scheme and the amount of funds sought to. be raised; and
- (b) if so, Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b) Yes, Sir. As the total investible resources for the market borrowing programme, both for the Central and State governments, is limited, there is no scope for allowing any additional allocation to Maharashtra Government over and above the borrowing programme as already approved.

राज्यस्थात के जल का बंटवारी

3493. श्री शिवचरण सिंह: क्या जल संसाधन मती यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान के जल के बंटवारे से संबंधित सरकार के विचाराधीन अप्तर्राज्यीय मामलों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सभी मामलों के संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ग्रौर विलम्ब के क्या कारण हैं ;
- (ग) ग्रंतिम निर्णय लिए जाने तक उस राज्य के हिस्से का जल न दिए जाने के क्या कारण हैं ; ग्रौर
- (घ) क्या यह सच है कि य**दि** राजस्थान को जल उपलब्ध करा दिया जाए, नो वह नारे देश हो खाधात्र श्रीर

खाद्य तेलों की आवश्यकता पूरी कर सकता है ; और इन समस्याओं को कब तक सुलझाए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंद्री (श्री विकासरण मुंह्म): (क) और (ख) राजस्थान के जल के बंटवारे से संबंधित श्रंतर्राज्यीय मामलों में रावी-व्यास जल, माही बजाज सागर परियोजना, यमुना जल और गंगा-जल में राजस्थान के दावे से संबंधित मामले निम्नलिखित हैं:—

(I) रावी-ध्यास जल

रावी व्यास जल से संबंधित विवाद, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के ग्रंतर्गत गठित ग्रधिकरण के पास 2 अप्रैल, 1986 को भेजा गया था। इस श्रधिकरण द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर, पंजाब. हरियाणा भीर राजस्थान राज्यों भीर किन्द्रीय सरकार ने कुछ मुद्दों पर श्रधिकरण से स्पन्टी-करण श्रीर मार्गदर्शन मांगा है। तत्पश्चात पंजाब सरकार ने अधिकरण के सामने यह तर्क दिया कि पंजाब में लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने तक श्राधकरण की कार्यवाहियों को ग्रास्थगित रखा जाए । पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनने के साथ ही, विभिन्न मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से स्लझाने की संभावनाध्रों का पता लगाने के लिए राज्यों से विचार विमर्श प्रारम्भ किया गया है।

(II) माही दजाज, सागर परियोजना

राजस्थान, मध्य प्रदेश श्रीर गुजरात के मध्य माही नदी जल के बंटवारे के संबंध में नर्मदा की रूपरेखा के बाद कदाना बांध श्रीर माही बजाज सागर बांध से माही जल के प्रयोग के बारे में राजस्थान श्रीर गुजरात के बीच 1966 के समझौत के कार्यान्वयन पर विचारों में कुछ मतभेद हैं। ग्रंतर्राज्यीय बैंडकों के जरिए इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(III) यमुमा जल

यम्ना जल के बंटवारे पर जल संसाधन मंत्री द्वारा 22 दिसम्बर, 1991, 10 जनवरी, 1992, 28 **मा**र्च, 1992 ग्रीर 19 जुलाई, 1992 को बलाई गयी श्रंतर्राज्यीय र्वैठकों में विचार विमर्श किया गया था। 28 मार्च, 1992 को ग्रायोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के धनुसरण में, प्रस्तावित रेणुका बांध दिल्ली के लिए समानान्तर चैनल, हथनीकुंड बराज, किशाऊ बांध के निर्माण ग्रीर पेयजल उद्देश्य के लिए यमना जल के बंटवारे से संबंधित मामलों पर 19 जुलाई, 92 को भी विचार विमर्श जारी रहा । सभी संबंधित मामलों पर व्यावहारिक रूप से राज्यों के बीच में मोटे तौर पर सहमति का दष्टिकोण रहा और यह निर्णय लिया गया कि सूचना भीर मांकड़ों के बीच कुछ विसंगतियों का पता लगाने तथा यमना नदी से ग्रोखला तक जल के उपयोग <mark>ग्रौर उसकी</mark> उपलब्धता के ग्रांकडों का सावधानीपूर्वक पुनः ग्राकलन करने के लिए ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी अधिकारियों की एक और बैठक आयोजित की जाएगी। यह भी सहमति हुई कि सभी मुद्दों पर ग्रन्तिम निर्णय लेने के लिए मख्यमंत्रियों की ग्रगली श्रंतर्राज्यीय बैठक 17 ग्रागस्तः 1992 को श्रायोजित की जाएगी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने वैसिन राज्यों के तकनीकी अधिकारियों के लाथ एक बैटक 29 जुलाई, 1992 को आयोजित की ।

^(IV) गंगासेजस

राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना जल का 10% जल प्राबंटित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को राज करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार को पत्न लिखा था ।

तदनुसार यह मामला उत्तर प्रदेश के साथ उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को जुलाई, 1988 में ग्रीर इस मंत्रालय को सितम्बर, 1988 में सूचित किया कि टिहरी बांध परियोजना में गंगा जल को वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के क्षेत्रों को ग्रिविशेष जल देना संभव प्रतीत नहीं होता ।

राजस्थान ने गंगा के अधिशेष बाढ़ जल को राजस्थान के क्षेत्रों को अंतरित करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को एक अस्ताव भी भेजा था। राजस्थान द्वारा अस्तुत किए गए अस्ताव का केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अध्ययन किया गया तथा यह देखा गया कि गंगा के अधिशेष बाढ़ जल का अन्तरण राजस्थान को करना आधिक रूप से स्यवहार्य नहीं होगा।

तथापि, राष्ट्रीय जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने हिमालयी नदी विकास घटक का मोटे तौर पर प्रध्ययम शुरू किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, मंगा नदी तथा इसकी पूर्वी सहायक निदयों से मानसून के अधिशेष जल का दिक्परिवर्तन राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों में करने की भी परिकल्पना की गयी है। इस रिपोर्ट के साठवीं योजना के अंत तक प्राप्त होने की याशा है।

- (ग) विद्यमान करारों के ब्रनुसार राजस्थान श्रंतर्राज्यीय नदियों से अपना हिस्सा पहले से ही प्राप्त कर रहा है।
- (घ) ब्राटवीं योजना दस्तावेजों में किए गए प्रेक्षपणों के अनुसार 2001 ईसवी तक समग्र देश के लिए खाद्याञ्च की कुल बावश्यकता लगभग 245 मिलियन टन होगी तथा तिलहन की भ्रावश्यकता 29 मिलियन टम होगी। समग्र देश की पूरी श्रावश्यकता को पूरा करना किसी एक राज्य के लिए संभव नहीं है।

Reoharging of ground water resources

3494. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approved four projects for recharging of ground water resources in certain areas where the water level has substantially declined; and

(b) if so, what are the details of the projects and the location *of* areas where they are likely to be set up?

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b) In February, 1992 the Government has approved a scheme, costing Rs. 36.7 lakhs prepared by the Central Ground Water Board for the artificial recharge of gound water in;

- (i) Gauribidanur and Mulbagal Taluks in Kolar district, Karnataka.
- (ii) Orange and banana growing areas in Amravati and Jalgaon district, Maharashtra.
 - (iii) Union Territory of Delhi.
 - (iv) Union Territory of Chandigarh.

Centarl assistance for irrigation projects of Bihar

3495. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of WATER RE-COURCES be pleased to state:

- (a) whether Government have prepared any action plan for providing Central assistance to the on going minor irrigation projects in Bihar;
 - (b) if so, the details thereof;
- (c) whether Government have sought the assistance from World Bank in this regard;
 - (d) if so, the details thereof; and
- (e) what co-operation Government is receiving from Government of Bihar in completing the minor irrigation projects there?

THE MINISTER OF WATER RE-SOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a), (b) and (e) No, Sir, Minor Irrigation projects are formulated, exe-